न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 92 / 2022	2022 / 144	26.04.2022	27.06.2023

1.जगदीश पुत्र श्रीनारायण जाति जाट निवासी हल्दीना तहसील मालाखेडा, जिला अलवर राजस्थान।

—अपीलाण्ट

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मालाखेडा, जिला अलवर, राजस्थान।

—रेस्पोडेन्ट

अपील धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 21.01.2021 तहसीलदार मालाखेडा प्रकरण संख्या 303 / 2021

उपस्थितः—

01. श्री मूलचन्द चौधरी —वकील अपीलाण्ट
02. राजकीय अभिभाषक — रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मालाखेडा के निर्णय दिनांक 21.01.2021 प्रकरण संख्या 303 / 2021 जिसके द्वारा संवत 2077 वाके ग्राम हल्दीना तहसील मालाखेडा की आराजी खसरा न0 602 रकबा 0.06 है0 खसरा न0 603 रकबा 0.04 है0 खसरा न0 608 रकबा 0.06 है0 खसरा न0 612 रकबा 0.06 है0 किता 4 कुल रकबा 0.22 है0 किस्म चाही सोयम में से अतिक्रमित रकबा 0.22 है0 में अतिक्रमण करने पर बेदखली कार्यवाही से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर विद्वान वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी अपीलाण्ट वकील ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का हल्दीना ने इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि अपीलान्ट जगदीश ने आराजी खसरा न0 602 रकबा 0.06 है0 खसरा न0 603 रकबा 0.04 है0 खसरा न0 608 रकबा 0.06 है0 खसरा न0 612 रकबा 0.06 है0 किस्म चा0सो0 वाके ग्राम हल्दीना पर संवत 2077 में रकबा 0.22 है0 पर सरसों बो कर अतिक्रमण कर लिया है जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.01.2021 को निर्णय पारित कर उक्त आराजी से बेदखल करने व लगान 6.16 के 50 गुणा कुल 306 रूपये की शास्ति से दण्डित किया गया है। जिससे यह अपील पेश की जा रही है। विवादित आराजी छोटी टुकडी की तारीफ में आती है जो कि मिन अपीलान्ट के कब्जे काश्त खातेदारी से लगती हुई है। उक्त विवादित आराजी पर मिन अपीलान्ट का अपने बुजुर्गों के समय से कब्जा चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को मिन अपीलान्ट के हित में उक्त विवादित आराजी रेगूलाईज करने की सिफरिस

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

करनी चाहिए थी लेकिन तहत अदालत द्वारा कोई गौर नहीं किया। मिन अपीलान्ट का अपने बुजुर्गों के समय से अर्से दराज से कब्जा साबित था किन्तु तहत अदालत द्वारा कोई गौर नही किया। मिन अपीलान्ट को तहसीलदार साहब मालाखेडा ने साक्ष्य सफाई का कोई समुचित अवसर प्रदान नही किया है। मिन अपीलान्ट का वर्तमान में विवादित आराजी के किसी भी भू भाग पर कोई कब्जा काश्त नही है।

अपील के साथ संलग्न अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का हल्दीना द्वारा दिनॉक 04.01.2021 को अतिक्रमण रिपोर्ट आराजी खसरा न0 602 रकबा 0.06 है0 खसरा न0 603 रकबा 0.04 है0 खसरा न0 608 रकबा 0.06 है0 खसरा न0 612 रकबा 0.06 है0 किस्म चा0सो0 वाके ग्राम हल्दीना पर संवत 2077 में रकबा 0.22 है0 पर सरसों बो कर जगदीश पुत्र श्रीनारायण जाति जाट निवासी हल्दीना अतिक्रमण करने की रिर्पोट अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा के समक्ष पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.01.2021 के द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमि को नोटिस जारी किया गया जो बाद तामील आगामी तारीख पेशी 21.01.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलान्ट अतिक्रमी ने दिनांक 21.01.2021 को न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। अपने जवाब में कथन किया गया कि अपीलान्ट द्वारा उपरोक्त आराजी से अतिक्रमण हटा लिया है। अब उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध वो सरोकार नही है। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया। अपील के दौरान तहसीलदार मालाखेडा से उक्त वर्णित आराजी की मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार मालाखेडा के पत्रांक राजस्व/789 दिनांक 03.08.2022 के द्वारा अवगत कराया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी हाल वाके ग्राम हल्दीना के खाता संख्या 1 खसरा न0 602 रकबा 0.06 है0 खसरा न0 603 रकबा 0.04 है0 खसरा न0 608 रकबा 0.06 है0 खसरा न0 612 रकबा 0.06 है0 किस्म चा0सो0 सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी पर जगदीश पुत्र श्रीनारायण जाति जाट का कब्जा काश्त वर्षो से है। वर्तमान में उपरोक्त आराजी पर खरीफ फसल बोई गई है।

न्यायालय द्वारा अपील व अपीलान्ट वकील की बहस एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन एवं चितंन मनन किया गया। अपीलान्ट प्रश्नगत आराजी पर पाश्चातवर्ती अतिक्रमी होना पाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.01.2021 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है। अतः अपीलान्ट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा के निर्णय दिनॉक 21.01.2021 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)